उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबन्धन अनुभाग–6
संख्या– 112 /11–6–2015–एम(71)/2012
लखनऊ, दिनांक 26जून, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (चौदहवां संशोधन) नियमावली 2015 कही जायेगी।

(2) यह गज़ट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम –13 का संशोधन — उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13.कर के भुगतान के लिये विवरणी :–	**13.कर के भुगतान के लिये विवरणी :–**
(1) प्रत्येक आमोद का मालिक प्रत्येक प्रदर्शन के लिये पृथक–पृथक् "बाल	(1) प्रत्येक आमोद का मालिक, प्रत्येक प्रदर्शन के लिये पृथक–पृथक"बाल पेन"

पेन'' और दो तरफा कारबन की सहायता से, प्रपत्र 'ख' में दो प्रतियों में विवरणी तैयार करेगा जिसमें विभिन्न वर्गो के लिए जारी किये गये प्रत्येक प्रकार के टिकट की संख्या, टिकटों की बिक्री से प्राप्त सकल धनराशि और संग्रह किये गये आमोद कर और अधिभार की धनराशि दिखायी जायेगी।	और दो तरफा कारबन की सहायता से, प्रपत्र 'ख' में दो प्रतियों में विवरणी तैयार करेगा जिसमें विभिन्न वर्गो के लिए जारी किये गये प्रत्येक प्रकार के टिकट की संख्या, टिकटों की बिक्री से प्राप्त सकल धनराशि और संग्रह किये गये आमोद कर और अधिभार की धनराशि दिखायी जायेगी।
(2) प्रपत्र 'ख' में लेखा प्रदर्शन के प्रारम्भ होने से एक घंटे के भीतर या मध्यान्तर के प्रारभ होने के दस मिनट पूर्व जो भी पहले हो (अंग्रजी फिल्मों या अल्पावधि के अन्य प्रदर्शनों की स्थिति में यथास्थिति मुख्य रूपक चित्र या प्रदर्शन के प्रारम्भ से 30 मिनट के भीतर) पूरा किया जायेगा और उसे प्रबन्धक के कार्यालय में यदि वह पहली मंजिल पर स्थित हो, या यदि प्रबन्धक का कोई कार्यालय न हो या जहां प्रबन्धक का कार्यालय पहली मंजिल पर न हो, वहां टिकट घर में जिसे इस प्रयोजन के लिये प्रबन्धक का कार्यालय समझा जायेगा निरीक्षण के लिये सुगमता से उपलब्ध रखा जायगा।	(2) प्रपत्र 'ख' में लेखा प्रदर्शन के प्रारम्भ होने से एक घंटे के भीतर या मध्यान्तर के प्रारम्भ होने के दस मिनट पूर्व जो भी पहले हो (अंग्रेजी फिल्मों या अल्पावधि के अन्य प्रदर्शनों की स्थिति में यथास्थिति मुख्य रूपक चित्र या प्रदर्शन के प्रारम्भ से 30 मिनट के भीतर) पूरा किया जायेगा और उसे प्रबन्धक के कार्यालय में यदि वह पहली मंजिल पर स्थित हो, या यदि प्रबन्धक का कोई कार्यालय न हो या जहां प्रबन्धक का कार्यालय पहली मंजिल पर न हो, वहां टिकट घर में जिसे इस प्रयोजन के लिये प्रबन्धक का कार्यालय समझा जायेगा निरीक्षण के लिये सुगमता से उपलब्ध रखा जायगा।
(3) प्रपत्र 'ख' में लेखा तैयार किये जाने के पश्चात् किसी टिकट की बिक्री नहीं की जायेगी।	(3) प्रपत्र 'ख' में लेखा तैयार किये जाने के पश्चात् किसी टिकट की बिक्री नहीं की जायेगी।
(4) जहां प्रपत्र 'ख' में कोई शुद्धि करना आवश्यक हो, वहां न तो अंकों के ऊपर कुछ लिखा जायेगा और न उसमें कोई शुद्धि की जायेगी और शुद्धियां केवल गलत अंकों को घेर कर	(4) जहां प्रपत्र' ख' में कोई शुद्धि करना आवश्यक हो, वहां न तो अंकों के ऊपर कुछ लिखा जायेगा और न उसमें कोई शुद्धि की जायेगी और शुद्धियां केवल गलत अंकों को घेर कर और उसके

और उसके ऊपर साफ–साफ शुद्ध अंक लिख कर प्रबन्धक के हस्ताक्षर से की जायेगी। . प्रपत्र'ख' में कोई उद्घर्षण या उपरिलेखन नहीं किया जायेगा।	ऊपर साफ–साफ शुद्ध अंक लिख कर प्रबन्धक के हस्ताक्षर से की जायेगी। प्रपत्र'ख' में कोई उद्घर्षण या उपरिलेखन नहीं किया जायेगा।
(5) उपनियम (2) (3) और (4)का उल्लंघन जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, कर का अपवंचन समझा जायगा।	(5) उपनियम (2), (3) और (4)का उल्लंघन जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, कर का अपवंचन समझा जायगा।
	परन्तु यह कि सिनेमाहॉल अथवा मल्टीप्लेक्स का मालिक इस नियम के अधीन विहित प्रपत्र "ख" प्रोफार्मा में विवरण मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजरनेम तथा पासवर्ड की सहायता से अभिहित वेबसाइट पर प्रदर्शन के प्रारम्भ होने से एक घंटे के भीतर या मध्यान्तर के प्रारम्भ होने के दस मिनट पूर्व जो भी पहले हो (अंग्रेजी फिल्मों या अल्पावधि के अन्य प्रदर्शनों की स्थिति में, यथास्थिति मुख्य रूपक चित्र या प्रदर्शन के प्रारम्भ से तीस मिनट के भीतर) तैयार तथा अद्यावधिक करेगा। इसकी हार्ड कॉपी (मुद्रित प्रति), प्रबन्धक कार्यालय में निरीक्षण के प्रयोजन हेतु सुगमता पूर्वक उपलब्ध रखी जायेगी। **परन्तुक अग्रेतर यह कि उपरोक्त उपनियम(1),(2) और (4) लागू नहीं होगा। यदि सिनेमा और मल्टीप्लेक्स, अभिहित वेबसाइट पर प्रपत्र "ख" में तैयार किया गया है।**

किया जायेगा।	**अथवा सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी** के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
(3) मालिक कर का भुगतान करने के पश्चात यथा स्थिति सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को कोषागार चालान संख्या और जमा करने के दिनांक की सूचना देगा।	(3) मालिक कर का भुगतान करने के पश्चात् तुरन्त यथास्थिति, **उप मनोरंजन कर आयुक्त** अथवा सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को कोषागार चालान संख्या और जमा करने के दिनांक की सूचना देगा।

नियम –31 का संशोधन — (4) उक्त नियमावली नियम–31 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
<u>31. प्रतिभूति जमा करने की रीति :–</u> मालिक जिससे अधिनियम के धारा 10 की उपधारा (1)के अधीन प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जाय,''दि रूल्स फार दि गाइडेन्स आफ दि डिपाजिटर्स इन दि पोस्ट आफिस सेविग्स बैंक'' के अनुच्छेद 45 के अधीन डाकघर में अपने नाम से प्रतिभूति निक्षेप खाता खोलेगा और उसे सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को गिरवी रखेगा। वह इस संबंध में संलग्न प्रपत्र 'ड.' में एक बन्ध–पत्र भी निष्पादित करेगा। प्रतिभूति निक्षेप खाता का पास बुक और प्रतिभूति बन्ध–पत्र सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर	**<u>31. प्रतिभूति जमा करने की रीति :–</u>** मालिक जिससे अधिनियम के धारा 10 की उपधारा (1)के अधीन प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जाय,''दि रूल्स फार दि गाइडेन्स आफ दि डिपाजिटर्स इन दि पोस्ट आफिस सेविग्स बैंक'' के अनुच्छेद 45 के अधीन डाकघर में **अथवा यथास्थिति किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में** अपने नाम से प्रतिभूति निक्षेप खाता खोलेगा और यथास्थिति उसे **उप मनोरंजन कर आयुक्त** अथवा सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को गिरवी रखेगा। वह इस संबंध में संलग्न प्रपत्र 'ड.' में एक बन्ध–पत्र भी निष्पादित करेगा। प्रतिभूति निक्षेप खाता की पास

नियम –24 का संशोधन

(3) उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–24 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;-

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम **24. कर का नकद भुगतान**	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम **24. कर का नकद भुगतान**
(1) प्रत्येक आमोद का मालिक जिससे अधिनियम की धारा–8 के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के उपबन्धों के अनुसार कर का नकद भुगतान करना अपेक्षित हो, कर की धनराशि रविवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम दिन से तीन दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जैसी इस प्रयोजन के लिये आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय और जो प्रपख 'ख' में विवरण–पत्र को प्रस्तुत करने के लिये नियम 15 के अधीन विहित अवधि के अनुरूप हो, यथास्थिति, सरकारी कारबार का संचालन करने वाले स्टेट बैंक आफ इण्डिया में सरकारी लेखे में या कोषागार में जमा करेगाः–	(1)(क) प्रत्येक आमोद का मालिक जिससे धारा–8 के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के उपबन्धों के अनुसार कर और धारा–3(ख) की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त प्रभार का नकद भुगतान करना अपेक्षित हो, धनराशि रविवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम दिन से तीन दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जैसी इस प्रयोजन के लिये आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय और जो प्रपख 'ख' में विवरण–पत्र को प्रस्तुत करने के लिये नियम 15 के अधीन विहित अवधि के अनुरूप हो, सरकारी कारबार का संचालन करने वाले स्टेट बैंक आफ इण्डिया में सरकारी लेखे में, जमा करेगाः–
(2) आमोद कर और अधिभार जमा करने के लिये कोषागार चालान तीन प्रतियों में, अलग–अलग तैयार किया जायगा जिस पर शब्द "कोषागार प्रति" ,"विभागीय प्रति "और "जमाकर्ता की प्रति" लिखा होगा, और उन्हें कर की धनराशि और लेखा शीर्षक का सत्यापन करने के लिये विवरण पत्रों सहित आमोद कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत	(2) आमोद कर और अधिभार जमा करने के लिये कोषागार चालान तीन प्रतियों में, अलग–अलग तैयार किया जायगा जिस पर शब्द "कोषागार प्रति" ,"विभागीय प्रति "और "जमाकर्ता की प्रति" लिखा होगा, और उन्हें कर की धनराशि और लेखा शीर्षक का सत्यापन करने के लिये विवरण पत्रों सहित यथा स्थिति **उप मनोरंजन कर आयुक्त**

अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रतिभूति को निर्मुक्त करने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगां '	बुक और प्रतिभूति बन्ध–पत्र **यथास्थिति उप मनोरंजन कर आयुक्त** अथवा सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रतिभूति को निर्मुक्त करने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

प्रपत्र "ख" का संशोधन –

5– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र "ख" के स्थान पर संशोधन स्तम्भ–2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

<u>स्तम्भ–1</u>

विद्यमान प्रपत्र "ख"

प्रपत्र "ख"

(नियम 13 के अधीन विहित)

पुस्तिका संख्या................................ क्रम संख्या..............................

विवरणी जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए जारी किये गये प्रत्येक प्रकार के टिकटों की संख्या, टिकटों की ब्रिकी से प्राप्त सकल धनराशि और संग्रह की गयी आमोद कर और अधिभार की धनराशि दी गई है।

(1)आमोद का नाम और प्रकार..

(2)आमोद का स्थान और जिला..

(3)तमाशा का दिनांक..

(4)प्रदर्शन..

(5)प्रदर्शन के प्रारम्भ होने का समय..

(6)रूप के चित्र का नाम..

(7)वितरक का नाम..

(8)समाचार दर्शन/वृत्त चित्र का नाम/संख्या..................................

(9)लाइसेंस/अनुज्ञा की अवधि..........................से..................................तक

अवधेय–(एक) (6), (7) और (8) केवल चलचित्र प्रदर्शन पर लागू होंगे।

(दो) स्तम्भ (5) में, अंग्रेज फिल्म की स्थिति में मुख्य रूपक चित्र के प्रारम्भ होने का समय भी दिया जाना चाहिए।

<u>स्तम्भ–2</u>

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विद्यमान प्रपत्र "ख"

प्रपत्र "ख"

(नियम 13 के अधीन विहित)

पुस्तिका संख्या................................ क्रम संख्या..............................

विवरणी जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए जारी किये गये प्रत्येक प्रकार के टिकटों की संख्या, टिकटों की ब्रिकी से प्राप्त सकल धनराशि और यदि कोई, संग्रह की गयी, आमोद कर और अन्य प्रभार की धनराशि दी गयी है।

(1)आमोद का नाम और प्रकार..

(2)आमोद का स्थान और जिला..

(3)तमाशा का दिनांक..

(4) प्रदर्शन..

(5)प्रदर्शन के आरम्भ होने का समय और मुख्य रूपक चित्र के आरम्भ होने का समय..

(6)रूप के चित्र का नाम(चाहे अल्प अवधि के लिये इंगित किया गया हो)..

(7)वितरक का नाम..

(8)समाचार दर्शन/वृत्त चित्र का नाम/संख्या..................................

(9)लाइसेंस/अनुज्ञा की अवधि..........................से..................................तक

टिप्पणी स्तम्भ– (6), (7) और (8) केवल चलचित्र प्रदर्शन पर लागू होंगे।

त्र "ड." का संशोधन

6– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र "ड." के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रपत्र "ड."

प्रपत्र "ड."

आमोद के मालिक द्वारा निष्पादित किया जाने वाला प्रतिभूति बन्ध पत्र का प्रपत्र

(नियम 31 के अधीन विहित)

यह विलेख आज दिनांक........................19........तदनुरूप शक संवत् 19......को ....द्वारा जो...का पुत्र और.... ....में निवास करता है (जिसे आबद्ध व्यक्ति कहा गया है) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के (जिन्हें "राज्यपाल" कहा गया है) पक्ष में निष्पादित किया गया।

चूंकि नियमावली के नियम 31 के अनुसरण में आबद्ध व्यक्ति ने.. ....जिले में ....स्थित.. ....नामक आमोद (जिसे "आमोद" कहा गया है) के मालिक के रूप में "दी रूल्स फार दी ाइडेन्स आफ दि डिपाजिटर्स इन पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक" के अनुच्छेद 45 के अधीन........... ....डाकघर में यथास्थिति राष्ट्रीयकृत बैंक में ....रूपया ामा करके प्रतिभूति निक्षेप खाता खोला है और उसे यथास्थिति, उप मनोरंजन कर ायुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी को गिरवी रख दिया ।

ब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:–

– आबद्ध व्यक्ति अधिनियम और नियमावली की अपेक्षानुसार कर का भुगतान करेगा।

– यथास्थिति, उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन र अधिकारी निम्नलिखित किसी एक या एकाधिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है:–

ा) प्रतिभूति या उसके किसी भाग का आहरण करना,

ा) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूति या उसके किसी भाग का अधिहरण कटौती या समपहरण । प्रस्ताव करना,

) सिवाय कटौती और समपहरण के, अधिनियम या नियमावली में व्यस्थित किसी रीति से ातेभूति के विषय में संव्यवहार करना,

) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्णन में उल्लिखित आमोद से भिन्न किसी आमोद के सम्बन्ध में बद्ध व्यक्ति द्वारा देय कर की वसूली को प्रस्तावित प्रतिभूति से करना।

जहां आबद्ध व्यक्ति परिवर्णन में उल्लिखित आमोद का मालिक न रह जाय, वहां यथास्थिति

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र "ड."

प्रपत्र "ड."

आमोद के मालिक द्वारा निष्पादित किया जाने वाला प्रतिभूति बन्ध पत्र का प्रपत्र

(नियम 31 के अधीन विहित)

यह विलेख आज दिनांक........................20........तदनुरूप शक संवत् 20.. ....को ....द्वारा जो...का पुत्र और...में निवास करता है (जिसे आबद्ध व्यक्ति कहा गया है) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के (जिन्हें "राज्यपाल" कहा गया है) पक्ष में निष्पादित किया गया।

चूंकि नियमावली के नियम 31 के अनुसरण में आबद्ध व्यक्ति ने.. ....जिले में ....स्थित.. .....नामक आमोद (जिसे "आमोद" कहा गया है) के मालिक के रूप में "दी रूल्स फार दी गाइडेन्स आफ दि डिपाजिटर्स इन पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक" के अनुच्छेद 45 के अधीन........... ....डाकघर में यथास्थिति (राष्ट्रीयकृत बैंक) में...रूपया जमा करके प्रतिभूति निक्षेप खाता खोला है और उसे यथास्थिति, उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी को गिरवी रख दिया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:–

1– आबद्ध व्यक्ति अधिनियम और नियमावली की अपेक्षानुसार कर का भुगतान करेगा।

2– यथास्थिति, उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी निम्नलिखित किसी एक या एकाधिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है:–

(क) प्रतिभूति या उसके किसी भाग का आहरण करना,

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूति या उसके किसी भाग का अधिहरण, कटौती या समपहरण का प्रस्ताव करना,

(ग) सिवाय कटौती और समपहरण के, अधिनियम या नियमावली में व्यस्थित किसी रीति से प्रतिभूति के विषय में संव्यवहार करना,

(घ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्णन में उल्लिखित आमोद से भिन्न किसी आमोद के सम्बन्ध में आबद्ध व्यक्ति द्वारा देय कर की वसूली को प्रस्तावित प्रतिभूति से करना।

3– जहां आबद्ध व्यक्ति परिवर्णन में उल्लिखित आमोद का मालिक न रह जाय, वहां यथास्थिति

स्तम्भ–1

विद्यमान प्रपत्र 'ख'

	टिकट का प्रकार अर्थात पूरा रियायती, शिशु, मानार्थ, प्रतिरक्षा, कार्मिक इत्यादि	प्रवेश टिकट का शुल्क				
		प्रवेश प्रभार	अधिभार सहित कर	अनुरक्षण प्रभार	फिल्म विकास निधि	योग
1	2	3	4	5	6	7

ा किये गये टिकटों की संख्या			संग्रह की गयी धनराशि स्तम्भ–8 X स्तम्भ–5	संग्रह की गयी कर की धनराशि			
				आमोद कर	अधिभार	अनुरक्षण प्रभार	फिल्म विकास निधि
8	9	10	11	12	13	14	15
	अन्य		व्यक्तियों की संख्या की अभ्युक्ति, यदि कोई ड्यूटी पर हो का भी उल्लेख कीजिए				
			17				

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र 'ख'

वर्ग	टिकट का प्रकार	कुल टिकट मूल्य का अवयव				टिकट लेखा		
		कुल भुगतान	आमोद कर	अन्य प्रभार	कुल (3 + 5)	प्रारम्भिक संख्या	अंतिम संख्या	जारी किये गये टिकटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सम्पूर्ण संकलन (स्तम्भ–6 X स्तम्भ–9)		संग्रह की गयी कर की धनराशि (स्तम्भ–4 X स्तम्भ–9)				अन्य प्रभार (स्तम्भ–5 X स्तम्भ–9)		
10		11				12		
व्यक्तियों की संख्या की अभियुक्ति, यदि कोई ड्यूटी पर हो, का भी उल्लेख कीजिये								
13								

आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी
प्रतिभूति की शेष धनराशि को, जो खण्ड 2 में उल्लिखित अधिकारों का
शेष रह जाय, निर्मुक्त कर देगा।
के भाग की निर्मुक्ति से आबद्ध व्यक्ति अपने द्वारा देय कर का भुगतान
विमुक्त नहीं होगा।
मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर, जो अन्तिम, निश्चायक और आबद्धकर होगा,
आबद्ध व्यक्ति के द्वारा देय किसी धनराशि को भू–राजस्व की बकाया की
ते हैं।
तिकूल आशय प्रतीत न हो:–
तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 से है,
के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशती

अन्तर्गत उनके पद के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है,
का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 से है,
तात्पर्य परिवर्णन में यथा उल्लिखित डाकघर में या यथास्थिति राष्ट्रीयकृत
द्वारा जमा की गयी धनराशि से है,
अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 में उसके लिये है।
रूप इस विलेख पर ऊपर लिखे दिनांक को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर

उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी यथास्थिति प्रतिभूति या प्रतिभूति की शेष धनराशि को, जो खण्ड 2 में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग करने के पश्चात् शेष रह जाय, निर्मुक्त कर देगा।

4– प्रतिभूति या उसके भाग की निर्मुक्ति से आबद्ध व्यक्ति अपने द्वारा देय कर का भुगतान करने के दायित्व से विमुक्त नहीं होगा।

5– राज्यपाल, जिला मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर, जो अन्तिम, निश्चायक और आबद्धकर होगा, इस विलेख के अधीन आबद्ध व्यक्ति के द्वारा देय किसी धनराशि को भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल कर सकते हैं।

6– जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 से है,

(ख) "आबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशती भी है,

(ग) "राज्यपाल" के अन्तर्गत उनके पद के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है,

(घ) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 से है,

(ड.) "प्रतिभूति" का तात्पर्य परिवर्णन में यथा उल्लिखित डाकघर में या यथास्थिति राष्ट्रीयकृत बैंक में आबद्ध व्यक्ति द्वारा जमा की गयी धनराशि से है,

(च) "कर" का वहीं अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 में उसके लिये है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखे दिनांक को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर,
आबद्ध व्यक्ति

आबद्ध व्यक्ति ने

1– ....

पता

2– ....

पता

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव

उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी यथास्थिति प्रतिभूति या प्रतिभूति की शेष धनराशि को, जो खण्ड 2 में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग करने के पश्चात् शेष रह जाय, निर्मुक्त कर देगा।

4– प्रतिभूति या उसके भाग की निर्मुक्ति से आबद्ध व्यक्ति अपने द्वारा देय कर का भुगतान करने के दायित्व से विमुक्त नहीं होगा।

5– राज्यपाल, जिला मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर, जो अन्तिम, निश्चायक और आबद्धकर होगा, इस विलेख के अधीन आबद्ध व्यक्ति के द्वारा देय किसी धनराशि को भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल कर सकते हैं।

6– जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 से है,

(ख) "आबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशती भी है,

(ग) "राज्यपाल" के अन्तर्गत उनके पद के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है,

(घ) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 से है,

(ड.) "प्रतिभूति" का तात्पर्य परिवर्णन में यथा उल्लिखित डाकघर में या यथास्थिति राष्ट्रीयकृत बैंक में आबद्ध व्यक्ति द्वारा जमा की गयी धनराशि से है,

(च) "कर" का वहीं अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 में उसके लिये है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखे दिनांक को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी यथास्थिति प्रतिभूति या प्रतिभूति की शेष धनराशि को, जो खण्ड 2 में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग करने के पश्चात् शेष रह जाय, निर्मुक्त कर देगा।

4– प्रतिभूति या उसके भाग की निर्मुक्ति से आबद्ध व्यक्ति अपने द्वारा देय कर का भुगतान करने के दायित्व से विमुक्त नहीं होगा।

5– राज्यपाल, जिला मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर, जो अन्तिम, निश्चायक और आबद्धकर होगा, इस विलेख के अधीन आबद्ध व्यक्ति के द्वारा देय किसी धनराशि को भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल कर सकते हैं।

6– जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 से है,

(ख) "आबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशती भी है,

(ग) "राज्यपाल" के अन्तर्गत उनके पद के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है,

(घ) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 से है,

(ड.) "प्रतिभूति" का तात्पर्य परिवर्णन में यथा उल्लिखित डाकघंर में या यथास्थिति राष्ट्रीयकृत बैंक में आबद्ध व्यक्ति द्वारा जमा की गयी धनराशि से है,

(च) "कर" का वहीं अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 में उसके लिये है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखे दिनांक को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर,
आबद्ध व्यक्ति

आबद्ध व्यक्ति ने

1– ....

पता

2–..

पता

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव